रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 107] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 5, 1984/चैत्र 16, 1906
No. 107] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 5, 1984/CHAITRA 16, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 1984

सं 85/84-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

भा. का. नि. 270(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 271/82-केन्द्रीय

उत्पाद-शुल्क, तारीख 13 नवम्बर, 1982 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

(क) प्रथम परन्तुक का लोप किया जाएगा ;

(ख) द्वितीय परन्तुक में, "परन्तु यह और कि" शब्दों के स्थान पर "परन्तु" शब्द रखा जाएगा ; और

(ग) तृतीय परन्तुक में, "परन्तु यह और भी कि" शब्दों के स्थान पर "परन्तु यह और कि" शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. 354/18/83-टीआरयू]

के. एस. वेंकटगिरि, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th April, 1984

No. 85|84-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 270(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 271|82-Central Excises, dated the 13th November, 1982, namely :—

In the said notification,—

(a) the first proviso shall be omitted;

(b) in the second proviso, for the words "Provided further that", the words "Provided that" shall be substituted; and

(c) in the third proviso, for the words "Provided further that" shall be substituted.

[F. No. 354|18|83-TRU]

K. S. VENKATAGIRI, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984